संख्या - 63 /2025/443/35-4-2025/35-4099/516/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल, 2025

विषय – जनपद वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी के नगर निगम सीमा के अन्तगर्त 84 ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शासनादेश संख्या- 292/2022/992/35-4-2022/001-35-4099/516/2021, दिनांक 29 अगस्त 2022 द्वारा 02 कार्यों की रू0 93.24 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 23.31 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- जिलाधिकारी वाराणसी के पत्रांक- 42/मु0अभि0/25-26, दिनांक 21 अप्रैल, 2025, पत्रांक-1758/त्व0आ0वि0यो0/2024-25, दिनांक 10.01.2025 एवं मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक-2121/त्व0आ0वि0यो0/2024-25, दिनांक 20.03.2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुये एवं टेन्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

3- एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2846.75 लाख (रूपये अठ्ठाइस करोड़ छियालिस लाख पचहत्तर मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	**कार्य**	**अनुमोदित लागत**	**गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की लागत**	**कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत**	**बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त् धनराशि**
1	मार्ग निर्माण (इण्टरलॉकिंग टाईल्स) एवं जल निकासी (कुल-151 कार्य)	6824.00	1653.05	-	5170.95	1706.00	1801.75
2	मार्ग प्रकाश व्यवस्था	2500.00	830.00	-	-	625.00	1045.00
		9324.00	2483.05	-	5170.95	2331.00	2846.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 अगस्त 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त प्रस्तर-3 की तालिका में क्रमांक-2 पर अंकित कार्य (मार्ग प्रकाश व्यवस्था) का बचत प्रारूप पत्र-1 की तालिका के कालम-11 पर गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराश रू0 830.00 अंकित की गयी है परन्तु अर्जित ब्याज की धनराशि अंकित नही है। उक्त सम्बन्ध में यदि अर्जित ब्याज की धनराशि है तो उसे कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराते हुये उक्त चालान की प्रति शासन में उपलब्ध करायी जाये।

4- इस संबंध में उपरोक्त प्रस्तर-3 की तालिका के क्रमांक-1 के कार्य पर होने वाला व्यय रुपये 18,01,75,000/-(रूपये अठ्ठारह करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण तथा उक्त तालिका के कमांक-2 के कार्य हेतु होने वाला व्यय रू0 10,45,00,000/-(रूपये दस करोड़ पैतालिस लाख मात्र) को लेखाशीर्ष-4801808000302-शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माणकार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 63 /2025/443(I)/35-4-2025/35-4099/516/2021, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। (इलाहाबाद)
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।(इलाहाबाद)
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
9. मुख्य अभियन्ता,नगर निगम,वाराणसी ।
10. मुख्य विकास अधिकारी,वाराणसी ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी ।
13. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी ।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।